

आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड,
8-ए, बंगाली लाईब्रेरी रोड़, देहरादून ।

मैनुअल – पंद्रह

[सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1)(ख)(xv)]

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मुख्यालय व संभागीय/जिला कार्यालय स्तर पर कोई पुस्तकालय/वाचनालय स्थापित नहीं है तथापि सूचना पटल के माध्यम से आम नागरिकों को जानकारी दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है ।

उपरोक्त के अलावा इच्छुक नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार अपेक्षित जानकारी/सूचना प्राप्त करने के लिये अधिनियम की व्यवस्थानुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है ।
